



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022020-216387  
CG-DL-E-25022020-216387

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725]  
No. 725]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/फाल्गुन 2, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 2, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2020

**का.आ. 794(अ).**—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1223(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

**और**, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 8 मार्च, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

**और**, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

ओसुदु झील, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला में बड़ी उथली आर्द्रभूमि है 11°56' से 11°58' उ और 79°44' से 79°45' पू में स्थित है। यह सबसे महत्वपूर्ण ताजा जल वाली झील है और यह पुडुचेरी-विल्लुपुरम-वालुथवुर मुख्य सड़क पर पश्चिमी तरफ पुडुचेरी शहर से 12 किलोमीटर दूर है। यह तमिलनाडु के पेराम्बई-पौथुरई ग्रामों वनूर तालुक, विल्लुपुरम जिले में स्थित है। तमिलनाडु की तरफ अधिकतर ओस्टरी तटों में अधिकतर ग्रामीण बस्तियाँ हैं,

झील की पांडिचेरी की तरफ मुख्य रूप से शहरी या उपनगर हैं। झील की परिधि 7.275 किलोमीटर है और झील का कुल जलग्रहण क्षेत्र 15.54 वर्ग किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से सुथुकेनी नहर के माध्यम से सुथुकेनी चेक बांध से और झील बेसिन के रन-ऑफ से जल प्राप्त करता है। सुथुकेनी चेक बांध शंकरपाराणी नदी के पार बनाया गया है। सुथुकेनी बांध के लिए प्रमुख जल स्रोत तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिला के वीदूर बांध से अतिरिक्त जल प्राप्त होता है;

और, टैंक का कुल क्षेत्रफल 8.00 वर्ग किलोमीटर (800 हेक्टेयर) है जिसमें से पुडुचेरी सरकार द्वारा अभयारण्य के रूप में 3.90 वर्ग किलोमीटर (390 हेक्टेयर) प्रस्तावित था और 3.31 वर्ग किलोमीटर (331.785 हेक्टेयर) का सर्वेक्षण किया गया था, तब तमिलनाडु सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है;

और, अभयारण्य के रूप में अधिसूचित वर्तमान में झील इन कारणों से महत्वपूर्ण है: (क) यह क्षेत्र उन प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण गलियारा है जो सर्दियों के दौरान प्वाइंट कैलिमेरे में चले जाते हैं; (ख) हर साल अक्टूबर से फरवरी के महीनों के दौरान इस दलदली भूमि में हजारों में जल पक्षियाँ देखी जा सकती हैं; (ग) एशियाई आर्द्रभूमि ब्यूरो ने ओसुदु को एशिया में 115 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि में से एक घोषित किया था; (घ) ओसुदु झील की पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2009), भारत के राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में पहचान की गयी थी;

और, मुंबई प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी (बीएनएचएस), मुंबई, जो पक्षीजीव अंतरराष्ट्रीय के सदस्य है, ने ओसुदु को भारत के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) के रूप में निर्दिष्ट किया है; ओसुदु में लगभग 40 प्रवासी प्रजातियों से संबंधित 20,000 से अधिक पक्षी सर्दियों में यहां प्रवास करते हैं। इसके आईयूसीएन (प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ) द्वारा विरासत स्थलों के रूप में भी पहचान की गयी है, जो इसे एशिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि में रैंकिंग करता है;

और, ओसुदु झील अवक्रमित आर्द्रभूमि का एक उदाहरण है। ओसुदु विल्लुपुरम और पांडिचेरी के लिए भूजल जल निकासी को रिचार्ज करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मुख्य रूप से अपनी पेयजल की आपूर्ति के लिए भूजल पर निर्भर है। यह समुद्री जल को भूमिगत जलभरों में प्रवेश करने से भी रोकता है। ओस्टरि झील को भूमि-सुधार, कृषि, गाद जमाव, खरपतवार आक्रमण और चोरी किये शिकार जैसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है;

और, ओसुदु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में पक्षियों के बसेरा क्षेत्र मनुष्यों के बहुत निकट स्थित हैं। क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ना जंगली पक्षियों का शिकार करना अक्सर देखा गया है। यदि इन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो ही झील की यूट्रोफिकेशन, गाद जमाव और अन्नतः झील का अंत हो सकता है;

और, यह क्षेत्र दुर्लभ और विविध स्थानिक वनस्पतियों के लिए समृद्ध है। यह एक मानसूनी झील है और पूर्वोत्तर मानसून के कारण शीत ऋतु के दौरान ओस्टरि झील में बाढ़ आ जाती है और ग्रीष्म ऋतु के दौरान आंशिक रूप से सूख जाती है। अध्ययन क्षेत्र की वनस्पति बहुत विविध है, छोटी जड़ी बूटी से लेकर बहुत बड़े वृक्षों तक कई जलीय पौधों शामिल हैं। यद्यपि झील छोटी है परन्तु यहां वनस्पतियों और जीवजन्तुओं की विविधता है जिनमें लगभग 480 पौधों की प्रजातियां 317 जेनेरा से संबंधित हैं और 92 परिवारों में फैली हुई हैं;

और, झील के चारों ओर अभिलिखित प्रमुख वृक्ष हैं *डिलबगिया पैनिकुलाटा*, *अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस*, *टर्मिनेलिया अर्जुन*, *स्पेशिया पाँपुलने*, *तामारिन्दस इंडिकस खया सेनेगलेंसिस*, *फ्रिकस बेंगलेंसिस* आदि हैं। झाड़िया जैसे *फ्रिकस हिसपिडा*, *फ्लुगोला ल्यूकोपीरस*, *कैसिया ऑरिकुलाटा*, *राउवाँल्फिया टेट्राफिला*, *प्लंबैगो ज़ेलेनिका*, *फीनिक्स लॉरीएरी*, *लंताना कैमारा*, *अबुटिलोन हिर्टम*, *ए. इंडिकम* आदि हैं। झील क्षेत्र में अभिलिखित प्रमुख जड़ी-बूटियों के पौधे *अकालीफा इंडिका*, *बोरेरिया ओसीमोइडस*, *कमेलिना बेंगलेंसिस*, *सी.लांगिओलिया*, *साइपरस रोटंडस*, *रुइएलिया पेटुला*, *एलिसिकार्पस मोनिलिफर*, *एच्योरेंथेस एस्पेरा*, *फिलेंथस मेडरस्पेटेंसिस*, *कॉर्कॉरस ट्रिडेन्स*, *डेसमोडियम ट्राइफ्लोरम* आदि हैं;

और, अध्ययन क्षेत्र में और उसके आस-पास सामान्य पर्वतारोही/स्ट्रेजलर्स सीसस ट्रिफोलिया, सी.विटिजेनेया, कार्डियोस्पर्मम हेलिकैबैम, ट्रागिया इनक्यूक्रेटा, टी.प्लुकेनेटि, टोडुगालिया एशियाटिका, पैसिफ्लोरा फोएटीडा, ऑक्सीस्टेलमा एस्कुलेंटम आदि अभिलिखित हैं। प्रमुख हाइड्रोफाइट नेलुम्बो नुसीफेरा, निम्फेया नाउचली, सेराटोफिलम डेमर्सम, हाइड्रिला वर्टिसिलाटा, नाजस माइनर, इपोमोया कार्नेआ, साल्विनिया मोलेस्टा, पिस्टिया स्ट्रेटाइड्स, लेम्ना माइनर, अपोनोगेटन नटन्स, ओटेलिया एलिमोइड्स, सेराटोप्टेरिस थालिक्ट्राइड, इकोर्निया क्रैसिप्स, वालिसनेरा सर्पिलिस आदि अभिलिखित हैं;

और, ओसुदु झील से लगभग 25 मछली प्रजातियां अभिलिखित की गई है जिसमें स्यूज्यूट्रोपियस एथिरिनोइड्स और एट्रोप्लस मैक्यूलेट्स, कैटल कैटल, माइस्टस विटैटस, हेटरोपनेस्टस फोसिलिस, चना ओरिएंटलिस, क्लैरस बैट्राचस, एट्रोप्लस सूरतेंसिस, मायस्टस गुलिओ, चन्ना स्ट्रैटस और गैंबसिया एफ्रिनिस शामिल हैं। झील में विदेशी तीन प्रजातियां अर्थात् ओरेन्नोमिस मोसाम्बिका, साइप्रिनस कार्पीओ और हाइपोफथल्मिचिस मोलिट्रिक्स पाई जाती हैं। स्तनधारियों की कुल 14 प्रजातियां अभिलिखित की गईं जिनमें चित्तीदार हिरण, सियार, जंगल बिल्ली, सामान्य नेवला, ब्लैक नेण्ड हेर, लघु पुच्छ वानर, भारतीय साही, बेंडीकूट रैट आदि शामिल हैं। अभयारण्य में तितली की 63 प्रजातियों के अंतर्गत 46 जेनेरा और 5 परिवारों में फैले हुए अभिलिखित किए गए हैं;

और, ओसुदु झील से कुल पक्षियों की 166 प्रजातियों से संबंधित 47 परिवारों को अभिलिखित किया गया है और यह परिप्रदेश है जिसमें 75 जलीय प्रजातियां शामिल हैं। इसमें पक्षी जैसे फ्लैमिंगोस, डार्टर, स्पॉट-बिल पेलिकन, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, पेंटेड स्टोर्क, यूरेशियन चम्मच बिल और पैलीड हैरियर संकटापन्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं;

और, ओसुदु पक्षियों की 47 प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है जो 22 परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। झील पृथ्वी में प्रवासी जल पंख के लिए जाना जाता है - उत्तर एशिया के ठंडी सर्दियों से ओसुदु में ट्राउटिंग जल पक्षी का आश्रय है। कुछ पक्षी जैसे फैन्टेल स्निप, स्टिंटस, प्लोवर्स, लैपविंग और सैंडपिपर्स अफ्रीका और उत्तरी यूरोप से ओसुदु आते हैं;

और, ओसुदु पक्षी की विविधता के लिए आकर्षित करता है झील विविध वासों जैसे कृषि खेती, झाड़ियां, खुली झाड़ियां मिट्टी घास भूमि का आश्रय प्रदान करती है। वास के अनुसार यह पाया गया कि ओसुदु में कम से कम 70 प्रतिशत पक्षियों का एकमात्र विशेष वास, 4 प्रतिशत कम से कम 2 वास, और 2 प्रतिशत कम से कम 3 अलग-अलग वास हैं। लगभग 32 प्रतिशत पक्षी, विशेषकर गीज़ और बत्तख, यह जल के लिए झील पर आधारित है। गहरे जल में झील के रूप में पक्षियों के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है जो कि मछली के पोषण के लिए जैसे कॉमरेंट और कूट्स हैं;

और, क्षेत्र की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि है पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्षेत्र का 60 प्रतिशत से अधिक कृषि उपयोग में है। शेष क्षेत्रों में जल पक्षी, बंजर भूमि और कुछ बस्तियां हैं;

और, ओसुदु अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 1.91 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी-संवेदी जोन

(जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.- (1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य के चारों ओर शून्य किलोमीटर (अंतःराज्यीय सीमा के कारण) से 1.91 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 9.068 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध I के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र उपाबंध-IIक से उपाबंध-IIघ में है।

(4) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III के सारणी क और सारणी ख के रूप में संलग्न है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग; और
- (xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्वधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा- 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रहवास सम्मिलित है; और
- (v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परन्तु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या, रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

#### सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें तिजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण



		करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार परन्तु, यह कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
8.	होटलों और रिजॉर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों को स्थापना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथालागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित

		संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
11.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवरो का परिनिर्माण और तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचनाएं।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
19.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्भाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्भाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्भाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।

22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा और क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
27.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
<b>ग. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी है।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. मानीटरी समिति.-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(1)	जिला कलेक्टर, विल्लुपुरम	अध्यक्ष, पदेन;
(2)	राजस्व संभागीय अधिकारी, विल्लुपुरम	सदस्य;
(3)	जिला पर्यावरण अभियंता, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विल्लुपुरम	सदस्य;
(4)	उप निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, चेंगलपट्ट	सदस्य;

(5)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला जैवविविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(6)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाल पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(7)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(8)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(9)	जिला वन अधिकारी, विलुप्पुरम	सदस्य- सचिव।

**6. निर्देश निबंधन:-** (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

**7.** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

**8.** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/27/2018-ईएसजेड]

डॉ.सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


## उपाबंध-I

## संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	सीमा कदपेरीकुप्पम ग्राम आर.एस. सं. 98, 103, 107, 108, 109, 110, 111 एवं 112 पृथुराय 12, 13, 19, 20, 37, 38, 39 एवं 34 से आरंभ होती है।
उत्तर पूर्व	सीमा पृथुराय ग्राम आर.एस. सं. 44, 45, 59, 58, 61, 62 एवं 63 में समाप्त होती है।
पूर्व	सीमा पृथुराय ग्राम आर.एस. सं. 167, 149, 150, 148, 85, 92, 86, 136, 135, 126, 122, 121, 118, 115, 310, 314, 315, 316, 317, 333, 334, 349 एवं 348 में समाप्त होती है।
दक्षिण पूर्व	सीमा पृथुराय ग्राम आर.एस. सं. 415, 347, 420, 346, 345 एवं 344 में समाप्त होती है।
दक्षिण	सीमा पेरमबाइ ग्राम आर.एस. सं. 21, 22, 20, 19, 18, 16, 15, 35 एवं 42 में समाप्त होती है।
दक्षिण पश्चिम	सीमा पेरमबाइ ग्राम आर.एस. सं. 47, 56, 58, 67 एवं 61 में समाप्त होती है।
पश्चिम	सीमा पांडिचेरी क्षेत्र में समाप्त होती है।
उत्तर पश्चिम	कदपेरीकुप्पम सीमा कदपेरीकुप्पम ग्राम आर.एस. सं. 30, 57, 59, 65, 75, 87 एवं 97 से आरंभ होती है।


## उपाबंध - IIक

## ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




## उपाबंध – IIख

ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध – IIग

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



उपाबंध – IIघ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध-III

सारणी क: ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र. सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप
1	1	उ प	11°58'28"	79°44'43"
2	2	उ	11°58'29"	79°44'48"
3	3	उ	11°58'29"	79°44'52"
4	4	उ	11°58'29"	79°44'53"
5	5	उ	11°58'28"	79°44'56"
6	6	उ	11°58'28"	79°44'59"
7	7	उ	11°58'26"	79°44'59"
8	8	उ	11°58'26"	79°45'1"
9	9	उ	11°58'25"	79°45'1"
10	10	उ	11°58'25"	79°45'3"
11	11	उ	11°58'27"	79°45'3"
12	12	उ	11°58'26"	79°45'5"
13	13	उ पू	11°58'26"	79°45'7"
14	14	पू	11°58'25"	79°45'7"
15	15	पू	11°58'25"	79°45'5"
16	16	पू	11°58'22"	79°45'5"
17	17	पू	11°58'22"	79°45'5"
18	18	पू	11°58'20"	79°45'5"
19	19	पू	11°58'19"	79°45'7"
20	20	पू	11°58'16"	79°45'6"
21	21	पू	11°58'15"	79°45'6"
22	22	पू	11°58'15"	79°45'3"
23	23	पू	11°58'15"	79°44'58"
24	24	पू	11°58'14"	79°44'57"
25	25	पू	11°58'12"	79°44'57"
26	26	पू	11°58'12"	79°44'58"



27	27	पू	11°58'11"	79°45'1"
28	28	पू	11°58'10"	79°45'1"
29	29	पू	11°58'9"	79°45'3"
30	30	पू	11°58'9"	79°45'5"
31	31	पू	11°58'9"	79°45'5"
32	32	पू	11°58'8"	79°45'5"
33	33	पू	11°58'7"	79°45'5"
34	34	पू	11°58'6"	79°45'7"
35	35	पू	11°58'6"	79°45'7"
36	36	पू	11°58'6"	79°45'8"
37	37	पू	11°58'5"	79°45'8"
38	38	पू	11°58'4"	79°45'8"
39	39	पू	11°58'4"	79°45'7"
40	40	पू	11°58'3"	79°45'7"
41	41	पू	11°58'2"	79°45'7"
42	42	पू	11°58'0"	79°45'6"
43	43	पू	11°57'59"	79°45'5"
44	44	पू	11°57'59"	79°45'7"
45	45	पू	11°57'57"	79°45'7"
46	46	पू	11°57'58"	79°45'4"
47	47	पू	11°57'54"	79°45'3"
48	48	पू	11°57'54"	79°45'4"
49	49	पू	11°57'53"	79°45'4"
50	50	पू	11°57'53"	79°45'4"
51	51	पू	11°57'52"	79°45'3"
52	52	पू	11°57'51"	79°45'3"
53	53	पू	11°57'52"	79°45'6"
54	54	पू	11°57'52"	79°45'6"
55	55	पू	11°57'52"	79°45'7"
56	56	पू (अय्यानार मंदिर)	11°57'51"	79°45'13"

57	57	पू	11°57'50"	79°45'13"
58	58	पू	11°57'52"	79°45'14"
59	59	पू	11°57'52"	79°45'14"
60	60	पू	11°57'52"	79°45'14"
61	61	पू	11°57'52"	79°45'16"
62	62	पू	11°57'53"	79°45'16"
63	63	पू	11°57'53"	79°45'17"
64	64	पू	11°57'50"	79°45'16"
65	65	पू	11°57'46"	79°45'16"
66	66	पू	11°57'45"	79°45'16"
67	67	पू	11°57'45"	79°45'16"
68	68	पू	11°57'44"	79°45'14"
69	69	पू	11°57'41"	79°45'15"
70	70	पू	11°57'41"	79°45'16"
71	71	पू	11°57'41"	79°45'16"
72	72	पू	11°57'39"	79°45'16"
73	73	पू	11°57'39"	79°45'16"
74	74	पू	11°57'37"	79°45'16"
75	75	पू	11°57'37"	79°45'19"
76	76	पू	11°57'36"	79°45'19"
77	77	पू	11°57'35"	79°45'20"
78	78	पू	11°57'32"	79°45'20"
79	79	पू	11°57'29"	79°45'17"
80	80	पू	11°57'26"	79°45'16"
81	81	पू	11°57'26"	79°45'16"
82	82	पू	11°57'24"	79°45'16"
83	83	पू	11°57'24"	79°45'13"
84	84	पू	11°57'24"	79°45'13"
85	85	पू	11°57'25"	79°45'10"
86	86	पू	11°57'24"	79°45'9"

87	87	पू	11°57'23"	79°45'9"
88	88	पू	11°57'22"	79°45'9"
89	89	पू	11°57'22"	79°45'10"
90	90	पू	11°57'21"	79°45'10"
91	91	पू	11°57'21"	79°45'12"
92	92	पू	11°57'21"	79°45'12"
93	93	पू	11°57'22"	79°45'14"
94	94	पू	11°57'22"	79°45'14"
95	95	पू	11°57'23"	79°45'16"
96	96	पू	11°57'22"	79°45'16"
97	97	पू	11°57'22"	79°45'17"
98	98	पू	11°57'24"	79°45'17"
99	99	पू	11°57'24"	79°45'18"
100	100	पू (पिल्लुपट्टु - ट्रांक्विले फार्म)	11°57'25"	79°45'19"
101	101	पू	11°57'25"	79°45'19"
102	102	पू	11°57'25"	79°45'26"
103	103	पू	11°57'20"	79°45'25"
104	104	पू	11°57'19"	79°45'24"
105	105	पू	11°57'19"	79°45'26"
106	106	पू	11°57'17"	79°45'26"
107	107	पू	11°57'15"	79°45'25"
108	108	पू	11°57'14"	79°45'27"
109	109	पू	11°57'14"	79°45'28"
110	110	पू	11°57'11"	79°45'29"
111	111	पू	11°57'15"	79°45'29"
112	112	पू	11°57'16"	79°45'29"
113	113	पू	11°57'16"	79°45'30"
114	114	पू	11°57'12"	79°45'30"
115	115	पू	11°57'12"	79°45'30"
116	116	पू	11°57'11"	79°45'30"

117	117	पू	11°57'8"	79°45'30"
118	118	पू	11°57'9"	79°45'31"
119	119	पू	11°57'8"	79°45'31"
120	120	पू	11°57'7"	79°45'31"
121	121	पू	11°57'7"	79°45'32"
122	122	पू	11°57'1"	79°45'30"
123	123	पू	11°57'1"	79°45'31"
124	124	पू	11°56'58"	79°45'30"
125	125	पू	11°56'58"	79°45'29"
126	126	पू	11°56'54"	79°45'28"
127	127	पू	11°56'50"	79°45'28"
128	128	पू (एच टी टॉवर)	11°56'51"	79°45'26"
129	129	पू	11°56'48"	79°45'25"
130	130	पू	11°56'46"	79°45'21"
131	131	पू (आश्रम गेट)	11°56'45"	79°45'22"
132	132	पू	11°56'44"	79°45'20"
133	133	पू	11°56'43"	79°45'18"
134	134	पू	11°56'42"	79°45'17"
135	135	पू	11°56'43"	79°45'17"
136	136	पू	11°56'42"	79°45'17"
137	137	पू	11°56'42"	79°45'17"
138	138	पू (ग्राम सीमा - पुथुराई से पेरम्बई)	11°56'41"	79°45'15"
139	139	पू	11°56'40"	79°45'14"
140	140	पू	11°56'40"	79°45'14"
141	141	पू	11°56'39"	79°45'15"
142	142	पू	11°56'39"	79°45'15"
143	143	पू	11°56'38"	79°45'14"
144	144	पू	11°56'37"	79°45'12"
145	145	पू	11°56'37"	79°45'11"

146	146	पू	11°56'35"	79°45'9"
147	147	पू	11°56'34"	79°45'7"
148	148	पू	11°56'33"	79°45'7"
149	149	पू	11°56'32"	79°45'6"
150	150	पू	11°56'28"	79°45'4"
151	151	पू	11°56'28"	79°45'4"
152	152	पू	11°56'26"	79°45'3"
153	153	पू	11°56'26"	79°45'3"
154	154	पू	11°56'24"	79°45'4"
155	155	द पू	11°56'20"	79°45'3"
156	156	द प	11°56'20"	79°44'59"
157	157	प	11°57'52"	79°44'39"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र. सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं के अवस्थान/दिशा	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप
1	1	उ प	11°58'16"	79°43'40"
2	2	उ प	11°58'25"	79°44'4"
3	3	उ	11°58'32"	79°44'22"
4	4	उ	11°58'37"	79°44'36"
5	5	उ	11°58'45"	79°44'50"
6	6	उ	11°58'56"	79°45'8"
7	7	उ	11°59'2"	79°45'32"
8	8	उ	11°58'58"	79°45'39"
9	9	उ	11°58'45"	79°45'42"
10	10	उ	11°58'35"	79°45'39"
11	11	उ	11°58'35"	79°45'35"
12	12	उ	11°58'27"	79°45'32"
13	13	उ पू	11°58'21"	79°45'24"
14	14	उ पू	11°58'16"	79°45'20"

15	15	उ पू	11°58'7"	79°45'25"
16	16	पू	11°57'58"	79°45'32"
17	17	पू	11°57'46"	79°45'33"
18	18	पू	11°57'37"	79°45'37"
19	19	पू	11°57'27"	79°45'42"
20	20	पू	11°57'15"	79°45'46"
21	21	पू	11°57'3"	79°45'48"
22	22	पू	11°56'49"	79°45'44"
23	23	पू	11°56'39"	79°45'39"
24	24	पू	11°56'32"	79°45'31"
25	25	द	11°56'22"	79°45'20"
26	26	द	11°56'8"	79°45'15"
27	27	द	11°56'3"	79°44'57"
28	28	द	11°56'19"	79°44'42"
29	29	द	11°56'20"	79°44'59"
30	30	प	11°56'46"	79°44'53"
31	31	प	11°57'22"	79°44'45"
32	32	प	11°57'53"	79°44'39"
33	33	प	11°58'2"	79°44'16"
34	34	प	11°58'10"	79°43'56"
35	एफ	गोकिलाम्बिकाई मंदिर	11°56'14"	79°45'5"
36	जी	सेंट एविला टेरेसा चर्च	11°56'23"	79°45'9"
37	सी	पुथुराई सड़क	11°57'44"	79°45'34"
38	डी	पुथुराई पांडी जेएन सड़क	11°56'24"	79°45'22"
39	ई	परमबाई मारिमान मंदिर	11°56'5"	79°44'53"
40	बी	पुथुराई टैंक	11°58'51"	79°44'60"
41	ए	कदपेरीकुप्पम टैंक	11°58'16"	79°43'40"

## उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ ओसुदु झील पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश (उ) डी एम एस प्रारूप	देशांतर (पू) डी एम एस प्रारूप
1.	पुथुराई	राजस्व ग्राम	वनुर	विलुप्पुरम	11° 58' 19"	79°45'26"
2.	परमबाई	राजस्व ग्राम	वनुर	विलुप्पुरम	11° 55' 59"	79°45'16"
3.	कदपेरीकुप्पम	राजस्व ग्राम	वनुर	विलुप्पुरम	11° 58' 18"	79°44'7"

## उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार I (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2020

**S.O. 794(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1223(E), dated the 8<sup>th</sup> March, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS**, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 8<sup>th</sup> March, 2019;

**AND WHEREAS**, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

**WHEREAS**, Oussudu Lake, located at 11° 56' to 11° 58' N and 79° 44' to 79° 45' E is a large shallow wetland in Villupuram district of Tamil Nadu. It is the most important fresh water lake and is 12 Kilometers from Puducherry Town on the western side on Puducherry – Villupuram – Valuthavur main road. It is located in Perambai–Poothurai Villages, Vanur Taluk, Villupuram District, Tamil Nadu. Much of the Ousteri bank along the Tamil Nadu side consists of rural settlements, the Pondicherry side of the lake is predominantly urban or suburban. The circumference of the lake is 7.275 kilometers and the total catchment area of lake is 15.54 square kilometers. It receives water mainly from Suthukeni check dam through Suthukeni canal and the run-off from the Lake basin. The Suthukeni check dam is constructed across the river Sankaraparani. The major water source for the Suthukeni dam is the excess water from Veedur dam, Viluppuram District of Tamil Nadu State;

**AND WHEREAS**, the total area of the tank is 8.00 square kilometers (800 ha) of which 3.90 square kilometers (390 hectare) had been proposed by the Government of Puducherry as a Sanctuary and 3.31 square kilometers (331.785 hectare) has been surveyed, proposed and then notified by the Government of Tamil Nadu as a Bird Sanctuary;

**AND WHEREAS**, the lake presently notified as a Sanctuary is significant for reasons: (a) The area serves as an important corridor for the migratory birds which move to Point Calimere during winter; (b) Every year during the months of October to February large congregation of water birds can be seen in thousands in this swamp; (c) The Asian wetland Bureau declared Oussudu as one of 115 significant wetlands in Asia; (d) Oussudu Lake was identified as a wetland of National importance under the National Wetland Conservation Programme of the Ministry of Environment and Forest (Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 2009), India;

**AND WHEREAS**, the Bombay Natural History Society (BNHS), Mumbai a member of Birdlife international, has designated Oussudu as an Important Bird Area (IBA) of India; over 20,000 birds belonging to nearly 40 migratory species used to inhabit or winter at Oussudu. It also has been identified as a heritage sites by IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), ranking it among the most important wetlands of Asia;

**AND WHEREAS**, Oussudu lake is an example of degrading wetlands. Oussudu plays a very vital role in recharging the ground water aquifers for Villupuram and Pondicherry, which is largely dependent on groundwater for its drinking water supply. It also protects the underground aquifers from sea water ingress. Ousteri Lake has been facing serious threats from multiple fronts such as reclamation, agriculture, siltation, weed invasion and poaching;

**AND WHEREAS**, in Oussudu ecologically sensitive zones such as roosting areas of birds are located in close proximity of humans. Illegal fishing and poaching of wild birds are quite frequent in the area. These trends if not checked can soon result in rapid eutrophication, siltation, and ultimate death of the lake;

**AND WHEREAS**, the area supports diverse flora rich in rare and endemic elements. It is a monsoonal lake and the northeast monsoons leave Ousteri lake flooded during the winter months and goes partially dry during summer months. The vegetation of the study area is very diverse, ranging from small herbs to very large trees including many aquatic plants. The lake though small contains diverse flora and fauna that includes nearly 480 plant species belonging to 317 genera and spreading over 92 families;

**AND WHEREAS**, the major trees recorded around the lake are *Dalbergia Paniculata*, *Acacia auriculiformis*, *Terminalia arjuna*, *the spesia populnea*, *Tamarindus indicus Khaya senegalensis*, *Ficus benghalensis*, etc. The shrub such as *Ficus hispida*, *Fluggea leucopyrus*, *Cassia auriculata*, *Rauwolfia tetraphylla*, *Plumbago zeylanica*, *Phoenix laurierii*, *Lantana camara*, *Abutilon hirtum*, *A.indicum*, etc. The major herbaceous plants recorded in the lake area are *Acalypha indica*, *Borreria ocymoides*, *Commelina benghalensis*, *C.longifolia*, *Cyperus rotundus*, *Ruellia patula*, *Alysicarpus monilifer*, *Achyranthes aspera*, *Phyllanthus maderaspatensis*, *Corchorus tridens*, *Desmodium triflorum*, etc.;

**AND WHEREAS**, the common climbers / stragglers recorded in and around the study area are *Cissus trifolia*, *C.vitigena*, *Cardiospermum halicacabum*, *Tragia involucrata*, *T.plukenetii*, *Toddalia asiatica*, *Passiflora foetida*, *Oxystelma esculentum*, etc. The major hydrophytes recorded were *Nelumbo nucifera*, *Nymphaea nouchalii*, *Ceratophyllum demersum*, *Hydrilla verticillata*, *Najas*



*minor, Ipomoea carnea, Salvinia molesta, Pistia stratioides, Lemna minor, Aponogeton natans, Ottelia alismoides, Ceratopteris thalictroides, Eichornia crassipes, Vallisneria spiralis, etc.;*

**AND WHEREAS,** nearly 25 fish species are recorded from the Oussudu lake including *Pseudeutropius atherinoides and Etroplus maculatus, Catla Catla, Mystus vittatus, Heteropneustes fossilis, Channa orientalis, Clarias batrachus, Etroplus suratensis, Mystus gulio, Channa striatus and Gambusia affinis.* Three species Viz., *Oreochromis mossambica, Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix* are exotic and are found in the lake. A total of 14 species of mammals were recorded including Spotted deer, Jackal, Jungle cat, Common mongoose, Black napped hare, Bonnet macaque, Indian porcupine, Bandicoot rat, etc. A total number of 63 butterfly species falling under 46 genera and spreading over 5 families were recorded in the sanctuary;

**AND WHEREAS,** a total of 166 species of birds belonging to 47 families were recorded from the Oussudu lake and its environs which included 75 aquatic species. Of these, birds such as Flamingos, Darter, Spot-billed Pelican, Great white Pelican, Painted Stork, Eurasian Spoon Bill and Pallid Harrier are coming under near threatened category;

**AND WHEREAS,** Oussudu supports about 47 species of birds representing 22 families. The lake is known for the migratory water fowl as the globe-trotting water bird stake refuge at Oussudu from the chilling winters of North Asia. Some birds like fantail snipe, stints, plovers, lapwing and sandpipers come to Oussudu from as far as Africa and Northern Europe;

**AND WHEREAS,** Oussudu attracts a variety of birds as the lake supports diverse habitats such as agri-fields, Scrubs, open scrub sand grass lands. Habitat wise it was found that the Oussudu at least 70 percent of the birds belong to a single exclusive habitat, 4 percent share at least 2 habitats, and 2 percent share at least 3 different habitats. About 32 percent birds, especially geese and ducks, depend exclusively on the lake for its water. The deep-water of the lake seem to be suitable for the birds that feed on fish such as cormorants and the coots;

**AND WHEREAS,** the important economy of the area is primarily agriculture more than 60 percent of the Eco-sensitive zone area is in agriculture use. Remaining areas are water birds, wasteland and few settlements;

**AND WHEREAS,** it is necessary to conserve and protect the areas, the extent and boundaries of Oussudu Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE,** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero kilometre to 1.91 kilometers around the boundary of Oussudu Lake Birds Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Oussudu Lake Birds Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero kilometer (due to Inter-State boundary) to 1.91 kilometers around the Oussudu Lake Birds Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 9.068 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended at **Annexure-I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure-IIA to Annexure-IIID.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone is appended as Table A and B of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

**2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.** – (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest and Wildlife,
- (iii) Agriculture,
- (iv) Revenue,
- (v) Urban Development,
- (vi) Tourism,
- (vii) Rural Development,
- (viii) Irrigation and Flood Control,
- (ix) Municipal,
- (x) Panchayati Raj,
- (xi) Public Works Department,
- (xii) Highways, and
- (xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forest, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by State Government.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

**(1) Land use.** – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), above within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

**(2) Natural water bodies.** - The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

**(3) Tourism or Eco-tourism.** – (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
  - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

**(4) Natural heritage.** - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

**(5) Man-made heritage sites.** - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

**(6) Noise pollution.** - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

**(7) Air pollution.** - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

**(8) Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

**(9) Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

**(10) Bio-Medical Waste.** - Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

- (a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.

- (b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Waste Management in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

**(11) Plastic waste management.** - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(12) Construction and demolition waste management.** - The Construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

**(13) E-waste.** - The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

**(14) Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel.

**(16) Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sl.No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of

		country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry

		producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated under applicable laws.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

<b>C. Promoted Activities</b>		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee .-** For effective monitoring of the provisions of this notification under subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

<b>Sl. No.</b>	<b>Constituent of the Monitoring Committee</b>	<b>Designation</b>
(1)	The District Collector, Villupuram	Chairman, ex-officio;
(2)	Revenue Divisional Officer, Villupuram	Member;
(3)	District Environmental Engineer, Tamil Nadu Pollution Control Board, Viluppuram	Member;
(4)	Deputy Director, Town and Country Planning, Chengalpattu	Member;
(5)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(6)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(7)	A representative from State Public Works Department	Member;
(8)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(9)	District Forest Officer, Viluppuram	Member- Secretary.

**6. Terms of Reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the



Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa given in **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/27/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


#### ANNEXURE- I

##### BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

<b>North</b>	The boundary starts at Kadaperikuppam village R.S No.98, 103, 107, 108, 109, 110, 111 & 112 at Poothurai 12, 13, 19, 20, 37, 38, 39 & 34.
<b>North East</b>	The boundary ends at Poothurai village R.S.No. 44, 45, 59, 58, 61, 62 & 63.
<b>East</b>	The boundary ends at Poothurai village R.S.No. 167, 149, 150, 148, 85, 92, 86, 136, 135, 126, 122, 121, 118, 115, 310, 314, 315, 316, 317, 333, 334, 349 & 348.
<b>South East</b>	The boundary ends at Poothurai village R.S.No. 415, 347, 420, 346, 345 & 344.
<b>South</b>	The boundary ends at Perambai village R.S.No. 21, 22, 20, 19, 18, 16, 15, 35 & 42.
<b>South West</b>	The boundary ends at Perambai village R.S.No. 47, 56, 58, 67 & 61.
<b>West</b>	The boundary ends at Pondicherry area.
<b>North West</b>	Kadaperikuppam The boundary starts from Kadaperikuppam village R.S.No. 30, 57, 59, 65, 75, 87 & 97.


**ANNEXURE- IIA**

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF OUSSUDU LAKE BIRDS SANCTUARY**




**ANNEXURE- IIB**

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF OUSSUDU LAKE BIRDS SANCTUARY**




**ANNEXURE- IIC**

**LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF OUSSUDU LAKE BIRDS SANCTUARY ALONG WITH 10 KILOMETERS BUFFER**



**ANNEXURE- IID**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF OUSSUDU LAKE BIRDS SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



## ANNEXURE-III

**TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Oussudu Lake Birds Sanctuary,  
Tamil Nadu**

S.No.	Identification of prominent points	Location/Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1	1	NW	11°58'28"	79°44'43"
2	2	N	11°58'29"	79°44'48"
3	3	N	11°58'29"	79°44'52"
4	4	N	11°58'29"	79°44'53"
5	5	N	11°58'28"	79°44'56"
6	6	N	11°58'28"	79°44'59"
7	7	N	11°58'26"	79°44'59"
8	8	N	11°58'26"	79°45'1"
9	9	N	11°58'25"	79°45'1"
10	10	N	11°58'25"	79°45'3"
11	11	N	11°58'27"	79°45'3"
12	12	N	11°58'26"	79°45'5"
13	13	NE	11°58'26"	79°45'7"
14	14	E	11°58'25"	79°45'7"
15	15	E	11°58'25"	79°45'5"
16	16	E	11°58'22"	79°45'5"
17	17	E	11°58'22"	79°45'5"
18	18	E	11°58'20"	79°45'5"
19	19	E	11°58'19"	79°45'7"
20	20	E	11°58'16"	79°45'6"
21	21	E	11°58'15"	79°45'6"
22	22	E	11°58'15"	79°45'3"
23	23	E	11°58'15"	79°44'58"
24	24	E	11°58'14"	79°44'57"
25	25	E	11°58'12"	79°44'57"
26	26	E	11°58'12"	79°44'58"
27	27	E	11°58'11"	79°45'1"
28	28	E	11°58'10"	79°45'1"
29	29	E	11°58'9"	79°45'3"
30	30	E	11°58'9"	79°45'5"
31	31	E	11°58'9"	79°45'5"
32	32	E	11°58'8"	79°45'5"
33	33	E	11°58'7"	79°45'5"

34	34	E	11°58'6"	79°45'7"
35	35	E	11°58'6"	79°45'7"
36	36	E	11°58'6"	79°45'8"
37	37	E	11°58'5"	79°45'8"
38	38	E	11°58'4"	79°45'8"
39	39	E	11°58'4"	79°45'7"
40	40	E	11°58'3"	79°45'7"
41	41	E	11°58'2"	79°45'7"
42	42	E	11°58'0"	79°45'6"
43	43	E	11°57'59"	79°45'5"
44	44	E	11°57'59"	79°45'7"
45	45	E	11°57'57"	79°45'7"
46	46	E	11°57'58"	79°45'4"
47	47	E	11°57'54"	79°45'3"
48	48	E	11°57'54"	79°45'4"
49	49	E	11°57'53"	79°45'4"
50	50	E	11°57'53"	79°45'4"
51	51	E	11°57'52"	79°45'3"
52	52	E	11°57'51"	79°45'3"
53	53	E	11°57'52"	79°45'6"
54	54	E	11°57'52"	79°45'6"
55	55	E	11°57'52"	79°45'7"
56	56	E (AYYANAR TEMPLE)	11°57'51"	79°45'13"
57	57	E	11°57'50"	79°45'13"
58	58	E	11°57'52"	79°45'14"
59	59	E	11°57'52"	79°45'14"
60	60	E	11°57'52"	79°45'14"
61	61	E	11°57'52"	79°45'16"
62	62	E	11°57'53"	79°45'16"
63	63	E	11°57'53"	79°45'17"
64	64	E	11°57'50"	79°45'16"
65	65	E	11°57'46"	79°45'16"
66	66	E	11°57'45"	79°45'16"
67	67	E	11°57'45"	79°45'16"
68	68	E	11°57'44"	79°45'14"
69	69	E	11°57'41"	79°45'15"
70	70	E	11°57'41"	79°45'16"

71	71	E	11°57'41"	79°45'16"
72	72	E	11°57'39"	79°45'16"
73	73	E	11°57'39"	79°45'16"
74	74	E	11°57'37"	79°45'16"
75	75	E	11°57'37"	79°45'19"
76	76	E	11°57'36"	79°45'19"
77	77	E	11°57'35"	79°45'20"
78	78	E	11°57'32"	79°45'20"
79	79	E	11°57'29"	79°45'17"
80	80	E	11°57'26"	79°45'16"
81	81	E	11°57'26"	79°45'16"
82	82	E	11°57'24"	79°45'16"
83	83	E	11°57'24"	79°45'13"
84	84	E	11°57'24"	79°45'13"
85	85	E	11°57'25"	79°45'10"
86	86	E	11°57'24"	79°45'9"
87	87	E	11°57'23"	79°45'9"
88	88	E	11°57'22"	79°45'9"
89	89	E	11°57'22"	79°45'10"
90	90	E	11°57'21"	79°45'10"
91	91	E	11°57'21"	79°45'12"
92	92	E	11°57'21"	79°45'12"
93	93	E	11°57'22"	79°45'14"
94	94	E	11°57'22"	79°45'14"
95	95	E	11°57'23"	79°45'16"
96	96	E	11°57'22"	79°45'16"
97	97	E	11°57'22"	79°45'17"
98	98	E	11°57'24"	79°45'17"
99	99	E	11°57'24"	79°45'18"
100	100	E (PILLUPATTU – TRANQUILLE FARM)	11°57'25"	79°45'19"
101	101	E	11°57'25"	79°45'19"
102	102	E	11°57'25"	79°45'26"
103	103	E	11°57'20"	79°45'25"
104	104	E	11°57'19"	79°45'24"
105	105	E	11°57'19"	79°45'26"
106	106	E	11°57'17"	79°45'26"

107	107	E	11°57'15"	79°45'25"
108	108	E	11°57'14"	79°45'27"
109	109	E	11°57'14"	79°45'28"
110	110	E	11°57'11"	79°45'29"
111	111	E	11°57'15"	79°45'29"
112	112	E	11°57'16"	79°45'29"
113	113	E	11°57'16"	79°45'30"
114	114	E	11°57'12"	79°45'30"
115	115	E	11°57'12"	79°45'30"
116	116	E	11°57'11"	79°45'30"
117	117	E	11°57'8"	79°45'30"
118	118	E	11°57'9"	79°45'31"
119	119	E	11°57'8"	79°45'31"
120	120	E	11°57'7"	79°45'31"
121	121	E	11°57'7"	79°45'32"
122	122	E	11°57'1"	79°45'30"
123	123	E	11°57'1"	79°45'31"
124	124	E	11°56'58"	79°45'30"
125	125	E	11°56'58"	79°45'29"
126	126	E	11°56'54"	79°45'28"
127	127	E	11°56'50"	79°45'28"
128	128	E (HT TOWER)	11°56'51"	79°45'26"
129	129	E	11°56'48"	79°45'25"
130	130	E	11°56'46"	79°45'21"
131	131	E (ASHRAM GATE)	11°56'45"	79°45'22"
132	132	E	11°56'44"	79°45'20"
133	133	E	11°56'43"	79°45'18"
134	134	E	11°56'42"	79°45'17"
135	135	E	11°56'43"	79°45'17"
136	136	E	11°56'42"	79°45'17"
137	137	E	11°56'42"	79°45'17"
138	138	E (VILLAGE BOUNDARY – POOTHURAI TO PERAMBAI)	11°56'41"	79°45'15"
139	139	E	11°56'40"	79°45'14"
140	140	E	11°56'40"	79°45'14"
141	141	E	11°56'39"	79°45'15"

142	142	E	11°56'39"	79°45'15"
143	143	E	11°56'38"	79°45'14"
144	144	E	11°56'37"	79°45'12"
145	145	E	11°56'37"	79°45'11"
146	146	E	11°56'35"	79°45'9"
147	147	E	11°56'34"	79°45'7"
148	148	E	11°56'33"	79°45'7"
149	149	E	11°56'32"	79°45'6"
150	150	E	11°56'28"	79°45'4"
151	151	E	11°56'28"	79°45'4"
152	152	E	11°56'26"	79°45'3"
153	153	E	11°56'26"	79°45'3"
154	154	E	11°56'24"	79°45'4"
155	155	SE	11°56'20"	79°45'3"
156	156	SW	11°56'20"	79°44'59"
157	157	W	11°57'52"	79°44'39"

**TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-sensitive Zone**

Sl.No.	Identifi- cation of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1	1	NW	11°58'16"	79°43'40"
2	2	NW	11°58'25"	79°44'4"
3	3	N	11°58'32"	79°44'22"
4	4	N	11°58'37"	79°44'36"
5	5	N	11°58'45"	79°44'50"
6	6	N	11°58'56"	79°45'8"
7	7	N	11°59'2"	79°45'32"
8	8	N	11°58'58"	79°45'39"
9	9	N	11°58'45"	79°45'42"
10	10	N	11°58'35"	79°45'39"
11	11	N	11°58'35"	79°45'35"
12	12	N	11°58'27"	79°45'32"
13	13	NE	11°58'21"	79°45'24"
14	14	NE	11°58'16"	79°45'20"
15	15	NE	11°58'7"	79°45'25"
16	16	E	11°57'58"	79°45'32"
17	17	E	11°57'46"	79°45'33"



18	18	E	11°57'37"	79°45'37"
19	19	E	11°57'27"	79°45'42"
20	20	E	11°57'15"	79°45'46"
21	21	E	11°57'3"	79°45'48"
22	22	E	11°56'49"	79°45'44"
23	23	E	11°56'39"	79°45'39"
24	24	E	11°56'32"	79°45'31"
25	25	S	11°56'22"	79°45'20"
26	26	S	11°56'8"	79°45'15"
27	27	S	11°56'3"	79°44'57"
28	28	S	11°56'19"	79°44'42"
29	29	S	11°56'20"	79°44'59"
30	30	W	11°56'46"	79°44'53"
31	31	W	11°57'22"	79°44'45"
32	32	W	11°57'53"	79°44'39"
33	33	W	11°58'2"	79°44'16"
34	34	W	11°58'10"	79°43'56"
35	F	GOKILAMBIKAI TEMPLE	11°56'14"	79°45'5"
36	G	ST. AVILA THERASA CHRUCH	11°56'23"	79°45'9"
37	C	POOTHURAI ROAD	11°57'44"	79°45'34"
38	D	POOTHURAI PONDY JN ROAD	11°56'24"	79°45'22"
39	E	PERAMBAL MARIAMMAN TEMPLE	11°56'5"	79°44'53"
40	B	POOTHURAI TANK	11°58'51"	79°44'60"
41	A	KADAPERI KUPPAM TANK	11°58'16"	79°43'40"

## ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF OUSSUDU  
LAKE BIRDS SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1.	Poothurai	Revenue Village	Vanur	Viluppuram	11° 58' 19''	79°45'26''
2.	Perambai	Revenue Village	Vanur	Viluppuram	11° 55' 59''	79°45'16''
3.	Kadaperikuppam	Revenue Village	Vanur	Viluppuram	11° 58' 18''	79°44'7''

**ANNEXURE-V****Proforma of Action Taken Report -**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.